छत्तीसगढ़ विधान सभा

दिसम्बर, 2021 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 14 दिसम्बर, 2021 (अग्रहायण 23,1943)

समय 11:00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक 88/सी.एस.ई.आर.सी./2020, दिनांक 19 अक्टूबर,2020 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता परिवेदना निवारण) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2020 पटल पर रखेंगे।

(2) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 104 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक लेखा प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2019–2020 पटल पर रखेंगे।

(3) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (क्रमांक 67 सन् 1957) की धारा 28 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक–एफ–6–42/2012/12, दिनांक 8 जून, 2021 पटल पर रखेंगे।

(4) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (क्रमांक 67 सन् 1957) की धारा 28 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार –

(i) अधिसूचना क्रमांक एफ 7–19/2015/XII, दिनांक 30 जून, 2021,

(ii) अधिसूचना क्रमांक एफ 7–19/2015/XII, दिनांक 2 सितम्बर, 2021 तथा

(iii) अधिसूचना क्रमांक एफ 7–19/2015/XII, दिनांक 22 सितम्बर,2021पटल पर रखेंगे।

(5) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी आवास संघ मर्यादित, रायपुर के अंकेक्षण टीप एवं वित्तीय पत्रक वर्ष 2018–19,2019–20 एवं 2020–21 पटल पर रखेंगे।

क्रमशः 2

3. प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों के संकलन का पटल पर रखा जाना

4. नियम 267–क के अधीन जुलाई, 2021 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

5. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

6. सभापति तालिका की घोषणा

7. कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन की प्रस्तुति

8. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) सर्वश्री अजय चन्द्राकर, शिवरतन शर्मा, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य, राजधानी रायपुर सहित प्रदेश में वायु प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) श्री अमितेश शुक्ल, सदस्य, गरियाबंद जिले में हरित क्रांति योजनांतर्गत मिनी राईस मिल एवं कृषि यंत्र की खरीदी में अनियमितता किये जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

9. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

(1) निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक– 26, लोरमी के सदस्य, श्री धर्मजीत सिंह, को दिसम्बर, 2021 सत्र में सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा।

(2) निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक– 65, भिलाई नगर के सदस्य, श्री देवेन्द्र यादव, को दिसम्बर, 2021 सत्र में सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा।

(3) निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक– 03, बैकुंठपुर की सदस्य, श्रीमती अंबिका सिंहदेव, को दिसम्बर, 2021 सत्र में सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा।

10. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री अजय चंद्राकर, सभापति, लोकलेखा समिति का छप्पनवां, सत्तावनवां, अट्ठावनवां, उनसठवां एवं साठवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

11. वित्तीय वर्ष 2021–2022 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, वित्तीय वर्ष 2021–2022 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन करेंगे।

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

रायपुर,
दिनांक 13 दिसम्बर, 2021